न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 37 / 2018

मनोहरी पुत्र ज्वाला मीना जाति मीना निवासी ग्राम सांथा तहसील महवा जिला दौसा
...अपी0

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील महवा, जिला दौसा ...रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 18.12.2017
व न्यायालय तहसीलदार महवा

उपस्थित : 1.श्री रिद्वी चन्द शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंदशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.06.18

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसील महवा ने दिनाक 18.12.2017 को ग्राम सांथा के आ0ख0न0 1738 रकबा 0.06 है0 किस्म जमीन (गै0मु0 बगीची) सिवायचक पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं पेनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का सांथा तहसील महवा जिला दौसा ने कतई गलत व झूंठी एक रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट ने ग्राम सांथा की राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 1738 रकबा 0.06 है0 भूमि गै0 मुमकिन बगीची पर अतिक्रमण कर पुख्ता दीवार का निर्माण कर लिया है। जिस पर प्रार्थी अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया एवं प्रार्थी अपीलांट ने निवेदन किया कि उक्त भूमि में आज से करीब 70–80 वर्ष पूर्व अपीलांट के दादा ने बगीची लगाई थी एवं उक्त बगीची को पाल पोस कर बडा किया एवं सरसब्ज बनाया तत्पश्चात से लगातार अपीलांट के पिता व तत्पश्चात अपीलांट उक्त बगीची की देखभाल व साल सम्भाल करते चले आ रहे है। अपीलांट ने उक्त बगीची में नींबू, पपीता, करूंजा, जामुन, आदि के वृक्ष व पौधे और लगा कर बगीची शुरू से ही अपीलांट के कब्जे व स्वामित्व में चली आ रही है। उक्त भूमि में कभी कोई शमशान नही रहा ना मौके पर शमशान है। परन्तु अधिनस्थ तहसीलदार महवा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध 50 गुणा पैनल्टी अधिरोपित कर गैर कानूनी तरीके से अपीलांट को बेदखली किये जाने के आदेश पारित फरमाये गये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से सिवायचक भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड आज भी भूमि सिवायचक (गै0मु0 बगीयी) दर्ज है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूँठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2017 से आदेश दिनांक 18.12.2017 के बीच लगभग 11 बार जवाब का समय दिया गया किंतु अपीलांट द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट जानबूझकर प्रकरण को देरीना करने की गरज से जवाब पेश करने के नाम पर बार बार तारीखें ले रहे थे। यदि उनके पास कोई अधिकार या टाइटल होता तो वे अवश्य पेश करते। किंतु उन्होनों ऐसा नहीं करके मौखिक तौर पर बार बार यह बताया कि उनके पूर्वजों के समय से ही विवादित भूमि पर बगीची लगाई जाकर वे लाभान्वित होते चले आ रहे है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि अपीलांट द्वारा बिना किसी अधिकार के विवादित भूमि पर कृषि कर लाभ उठाया जा रहा है, जो एक अतिक्रमी की हैसियत से ही किया जा रहा है। जिस पर उनका कोई अधिकार ही नहीं है। राजस्व अभिलेख में भूमि सिवायचक (गै0मु0 बगीची) अंकित है। साथ ही अपीलांट द्वारा अपने कथनो की पुष्टि में प्रश्नगत भूमि के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही किए जिससे उनके कथन की पुष्टि नही होती है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कोई संदेह नही हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 27 जून, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official